INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 7 | AUGUST – 2025

"मऊगंज जिले की कृषि उपज मण्डियों की कार्यप्रणालियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन"

प्रिया तिवारी[1] डॉ. विद्युत प्रकाश मिश्रा[2]
[1]शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य, राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार, जिला रीवा (म.प्र.)

सारांश –

प्रस्तुत शोध पत्र ''मऊगंज जिले की कृषि उपज मण्डी की कार्यप्रणालियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' पर केन्द्रित है, जिसमें जिले की प्रमुख कृषि उपज मण्डियों की संरचना, कार्यप्रणाली एवं व्यवहारिक चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कृषि उपज मण्डियाँ एक महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं, जो उत्पादों के संगठित विपणन, मूल्य निर्धारण की पारदर्शिता एवं बिचौलियों के हस्तक्षेप को सीमित करने में सहायक होती हैं। मऊगंज जिले की मंडियों में बोली प्रक्रिया, भुगतान प्रणाली, माप–तौल की निष्पक्षता, डिजिटल प्लेटफॉर्म (ई–नाम) की स्थिति को आधार बनाकर अध्ययन किया गया है। शोध क्षेत्र में पारदर्शिता एवं डिजिटलीकरण की कमी, भुगतान में विलंब एवं अव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया जैसे मुद्दे किसानों को प्रभावित करते हैं। तथापि सरकार द्वारा लागू योजनाओं एवं डिजिटल सुधारों से संभावनाएं भी प्रकट होती हैं। मण्डी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाए, तो यह किसानों की आय वृद्धि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

शब्द संकेत – कृषि विपणन प्रणाली, मण्डी कार्यप्रणाली, बिचौलियों की भूमिका, डिजिटल प्लेटफार्म (ई–नाम), मूल्य निर्धारण पारदिर्शता, प्रशासनिक युनौतियाँ, भुगतान प्रणाली एवं मऊगंज जिला।

प्रस्तावना –

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह केवल खाद्य सुरक्षा का आधार ही नहीं है, बल्कि देश की एक बड़ी जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। कृषि की उत्पादकता को बाजार व्यवस्था से जोड़कर ही किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में कृषि उपज मण्डियों की भूमिका केंद्रीय महत्व रखती है, जहाँ किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होता है तथा एक संगठित विपणन प्रणाली के माध्यम से उनके आर्थिक हितों की रक्षा होती है।

मण्डी व्यवस्था का उद्देश्य कृषि उत्पादों के क्रय–विक्रय को पारदर्शी, न्यायपूर्ण एवं संगठित बनाना है। इसके अंतर्गत किसानों को मण्डी परिसर में अपनी उपज लाने, तौल करवाने, बोली लगवाने और मूल्य प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। परंतु व्यवहार में इन व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार की खामियाँ, बिचौलियों का वर्चस्व, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी, आधारभूत संरचना की अनुपलब्धता तथा किसानों की जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। विशेष रूप से छोटे और पिछड़े जिलों में यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है।

मऊगंज जिला मध्यप्रदेश के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक नवगठित प्रशासनिक इकाई है, जो मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर कृषि पर आधारित है, जिसमें गेहूँ, धान, चना, सरसों आदि प्रमुख फसलें हैं। जिले में कार्यरत कृषि उपज मण्डियाँ किसानों को विपणन का मंच उपलब्ध कराती हैं, परंतु इनकी कार्यप्रणालियों में पारदर्शिता, सुचारु प्रबंधन एवं डिजिटल प्रणाली का अभाव देखा गया है। ऐसी स्थिति में यह अत्यावश्यक हो जाता है कि मऊगंज जिले की कृषि मण्डियों की कार्यप्रणालियों का गहन विश्लेषण किया जाय जिससे उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन हो सके।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य मऊगंज जिले की प्रमुख कृषि उपज मण्डियों की संरचना, प्रबंधन, मूल्य निर्धारण प्रणाली, किसान सहभागिता तथा डिजिटल प्रणाली की उपस्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही इससे जुड़े समस्यात्मक पक्षों को रेखांकित करते हुए सुधारात्मक सुझावों का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन मऊगंज की कृषि मण्डियों की कार्यपद्धतियों को उजागर करने के साथ–साथ नीति–निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं शोधार्थियों के लिए उपयोगी दिशा प्रदान करेगा।

शोध उद्देश्य –

किसी शोध कार्य का चयन करने के पीछे शोधकर्ता का प्रमुख उद्देश्य है। चूंकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, यहां की अर्थव्यवस्था का विकास कृषि पर सर्वाधिक निर्भर रहता है इसलिए शोधकर्ता ने मध्यप्रदेश के नवनिर्मित जिला मऊगंज के कृषि उपज मण्डियों की कार्य–प्रणालियों का अध्ययन करने को अपने शोध का प्रमुख विषय बनाया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि जिले के कृषकों की उपजों का विपणन करने के उचित कृषि उपज मण्डी यहां पर उपलब्ध है या नहीं, जिले की कृषि उपज मण्डियों की कार्य–प्रणाली को और अधिक बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, यहां के मण्डियों में कृषिकों के उत्पादों के विपणन करने हेतु सभी सुविधायें उपलब्ध हैं अथवा नहीं, इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए शोधकर्ता ने अपने शोध पत्र का विषय मऊंज जिले की कृषि उपज मण्डियों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने को बनाया है। अतः प्रस्तावित शोध अध्ययन से संबंधित कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- कृषि उपज मण्डियों में कृषि उत्पादों के उचित रख–रखाव की सुविधा होने का अध्ययन करना।
- कृषि उपज मण्डियों में कृषि उत्पादों के लिए बाजार की उचित व्यवस्था होने का आकलन करना।

उपरोक्त शोध अध्ययन के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए अनुसंधानकर्ता ने शोध कार्य करने का निर्णय लिया है, ताकि इनके उचित मानकों को समाज के सामने प्रस्तुत किया जा सके।

शोध विधि –

प्रस्तुत शोध कार्य में मऊगंज जिले की कृषि उपज मण्डियों की कार्यप्रणालियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है, जिसके लिए वर्णनात्मकएवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के समंकों को एकत्रित कर अध्ययन किया गया है। समंकों को विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, कृषि विपणन बोर्ड की वेबसाइट, मण्डी समिति की वार्षिक प्रतिवेदन एवं संबंधित विभागीय दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है। संग्रहित समंकों का विश्लेषण वर्णनात्मक विश्लेषण के माध्यम से किया गया है, जिससे मण्डी व्यवस्था की पारदर्शिता, संरचना, भंडारण सुविधा, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया एवं किसान संतुष्टि की स्थिति को विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। इस विधिक दृष्टिकोण से मऊगंज जिले की कृषि उपज मण्डियों के व्यवहारिक पक्षों का गहन मूल्यांकन संभव हो सके।

विश्लेषण –

किसी भी कृषि उपज मण्डी की दक्षता का मूल्यांकन उसकी भंडारण एवं रख–रखाव सुविधाओं के आधार पर किया जा सकता है। उचित रख–रखाव का अभाव न केवल कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि किसानों को आर्थिक क्षति भी पहुँचाता है। मऊगंज जिले की कृषि मण्डियों में भौतिक निरीक्षण एवं किसानों के अनुभवों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश मण्डियों में गोदामों की संख्या सीमित है और जो उपलब्ध हैं, वे भी जर्जर स्थिति में हैं। इनमें वेंटिलेशन, नमी नियंत्रण, तापमान प्रबंधन जैसे बुनियादी भंडारण प्रबंधन का अभाव देखने को मिला है। अनेक छोटे किसान अपने उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित

रखने में असमर्थ होते हैं, जिससे उन्हें तुरंत बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ता है, भले ही बाजार मूल्य अनुकूल न हो। मण्डी परिसरों में कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं की अनुपस्थिति विशेषकर जल्दी खराब होने वाली फसलों (जैसे सब्जी, फल आदि) के लिए अत्यंत समस्या उत्पन्न करती है। मऊगंज जैसी पिछड़ी श्रेणी के जिलों में यह चुनौती और भी गंभीर हो जाती है जहाँ किसानों की भौतिक एवं तकनीकी पहुंच सीमित है। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि कृषि मण्डियों में वैज्ञानिक भंडारण सुविधा, डिजिटल निगरानी व्यवस्था, और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए ताकि उत्पादों का दीर्घकालिक संरक्षण संभव हो सके और किसानों को मूल्य हानि से बचाया जा सके।

किसानों के कृषि उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध कराना किसी भी मण्डी व्यवस्था का केंद्रीय उद्देश्य होता है। बाजार की ''उचित व्यवस्था'' का अर्थ केवल क्रय–विक्रय की उपलब्धता नहीं, बल्कि पारदर्शी बोली प्रणाली, मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता, किसान को प्रत्यक्ष लाभ और बिचौलियों की भूमिका का न्यूनकरण भी होता है। मऊगंज जिले की मण्डियों में किए गए अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बाजार की संरचना और संचालन प्रणाली अभी भी पारंपरिक तरीकों पर आधारित है। बोली प्रणाली में पारदर्शिता की कमी, मुनाफाखोरी और बिचौलियों का वर्चस्व किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश मण्डियों में ई–नाम (e-NAM) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रभावी स्थापना या संचालन नहीं हो पाया है, जिससे किसानों को वैकल्पिक बाजार मूल्य का पता नहीं चल पाता और वे स्थानीय व्यापारी की मर्जी पर निर्भर रहते हैं। यह स्थिति बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित करती है और मूल्य की असमानता को बढ़ावा देती है। अतः बाजार में उचित मूल्यमापन, प्रमाणित तौल उपकरण, मूल्य तालिका का सार्वजनिक प्रदर्शन और किसान–उन्मुख सहायता केंद्र जैसे उपाय न केवल किसानों की भागीदारी को बढ़ाएंगे, बल्कि उन्हें स्वायत्तता भी प्रदान करेंगे। मऊगंज जिले की मण्डियों को यदि इन पहलुओं पर सुदृढ़ किया जाए तो किसानों की आर्थिक स्थिति में ठोस सुधार संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मऊगंज जिले की कृषि उपज मण्डियाँ अपनी मूल भूमिका कृषकों को उपयुक्त बाजार उपलब्ध कराने एवं उत्पादों के संरक्षण में अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पा रही हैं। सर्वेक्षण के आधार पर यह देखा गया है कि अधिकांश मण्डियों में आधुनिक भंडारण सुविधाओं का अभाव है, जिससे किसानों को अपनी उपज शीघ्र बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है, भले ही बाजार मूल्य लाभकारी न हो। कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं का नितांत अभाव विशेषकर सब्जी और फल उत्पादक किसानों को अधिक प्रभावित करता है। मण्डियों की बोली प्रणाली पारदर्शिता से दूर प्रतीत होती है तथा मूल्य निर्धारण में व्यापारियों का वर्चस्व प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आता है। ई–नाम जैसी डिजिटल प्रणाली की जानकारी एवं प्रयोग की स्थिति भी अत्यंत सीमित है, जिससे किसानों को लाभकारी विकल्पों की जानकारी नहीं मिल पाती। तौल की प्रणाली, मूल्य सूची का प्रदर्शन तथा किसान सहायता केंद्र जैसी व्यवस्थाएँ भी असंगठित एवं सीमित रूप में ही कार्यरत हैं।

इस प्रकार समस्त अवलोकनों के आधार पर कहा जा सकता है कि मऊगंज जिले की कृषि उपज मण्डियाँ अभी भी परंपरागत संरचना में कार्य कर रही हैं, जिनमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। यदि आधुनिक तकनीकों का समावेश, पारदर्शी प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण तथा किसान–केन्द्रित व्यवस्थाओं का विकास किया जाए तो यह न केवल कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करेगा, बल्कि किसानों की आय एवं आत्मनिर्भरता में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी।

सन्दर्भ –

1. यादव, सत्यभान – कृषि विपणन : प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता, कुरूक्षेत्र, वर्ष 2021
2. जैन, हेमचन्द्र – कृषि वित्त सिद्धांत एवं व्यवहार, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, वर्ष 2019
3. कुलश्रेष्ठ एवं सहायक – औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, हॉस्पिटल रोड़, आगरा, वर्ष 1990
4. जैन, डी.पी. – कृषि अर्थशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, वर्ष 2014
5. शुक्ला, एस.एम. एवं सहायक – सांख्यिकीय के सिद्धांत, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, वर्ष 2008

6. मिश्र, एस.के. एवं पुरी वी.के. – भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, वर्ष 2015
7. गुप्ता, प्रो. एवं शर्मा – भारतीय सामाजिक समस्याएं, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, संस्करण, वर्ष 2007
8. सिन्हा, डॉ. वी.पी. – कृषि ग्रामीण अर्थशास्त्र, एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 2011